151/2016.

21.9.2022

पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उपस्थित।

प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी की ओर से दस्तावेज फैहरिस्त प्रस्तुत कर बहस के तथ्यों में उल्लेखित किया कि वादीगण के द्वारा मौजा घासीड़ा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 390 रकबा 51.09 बीघा का वाद पेश किया गया है। इसी भूमि के संबंध में इन्ही पक्षकरान के मध्य इसी विवाद विषय वस्तु का समान अनुतोष का वाद श्रीमान न्यायालय द्वारा वाद संख्या 05/2016 बअनवान गंगाराम बनाम जालाराम पर दर्ज हुआ। जिसमें वादीगण प्रतिवादी संख्या 1, 2 के रूप में पक्षकार है। जिन्होनें उपस्थित होकर अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया। उसके उपरान्त भी वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने की नियत से व खर्चे से बर्बाद करने की बदनियत से यह वाद इसी भूमि को लेकर उसी अनुतोष का पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद संख्या 05/2016 बअनवान गंगाराम बनाम जालाराम के वर्णित भूमि समान है, पक्षकारान समान है तथा अनुतोष भी समान है। कानूनन वादीगण को नया वाद लाने का अधिकार नही था। वादग्रस्त आराजी का पूर्ववर्ती निर्णित वाद संख्या 05/2016 बअनवान गंगाराम बनाम जालाराम में पक्षकारान का हक हिस्सा तय किया जाकर अंतिम रूप से निर्णत कर दिया गया है। वाद का उक्त हस्तगत वाद पूर्व न्याय की श्रेणी में होने के कारण विधि से वर्जित है तथा उसी भूमि के संबंध में उन्ही पक्षकारान के मध्य पुनः उसी विवाद का निर्णय उसी अदालत द्वारा नही किया जा सकता है जिसका पूर्व में उसी अदालत द्वारा निर्णित किया जा चुका है । उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ववर्ती निर्णय वाद संख्या 05/2016 बअनवान गंगाराम बनाम जालाराम पूर्व में निर्णित होने के कारण उक्त वाद पूर्व न्याय की श्रेणी में होने से विधि द्वारा वर्जित होने के कारण विचारण योग्य नही है।

इसके विपरित वादीगण की बहस है कि वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,207,209 आर. का. अधि. के तहत दिनांक 10.06.2008 को श्रीमान् सहायक कलक्टर एवं एस.डी. ओ. गुड़ामालानी मु. बाड़मेर में विवादग्रस्त खेत मौजा घासीड़ा तहसील गुड़ामालानी के खसरा नम्बर 390 रकबा 51.09 बीघा के सम्बन्ध में अपने विधिक हकूकों के संरक्षण के लिए वाद पेश किया गया था जो वाद आज भी श्रीमानजी के न्यायाल[illegible]राधीन हैं वादीगण द्वारा उक्त राजस्व [illegible] श्रीमानजी [illegible] में सन 2008 से विचाराधीन चल रहा है [illegible] संख्या 01 ने उक्त वाद विचाराधीन होने के बावजूद भी तथ्य छुपाकर न्यायालय में एक नया राजस्व वाद दिनांक [illegible].03.2014 को बअनवान गंगाराम बनाम जालाराम वगेरा के विरूद्ध पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 ने न्यायालय को गुमराह कर अंधेरे में रख कर एवं वादीगण के उक्त वाद को लम्बा करने की नियत से उक्त आवेदन गलत तथ्यों पर पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त वाद को लम्बा करने की नियत से एवं वादीगण को नाहक तंग एवं परेशान करने की नियत से न्यायालय में तथ्य छिपा कर एक दुसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:15:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

राजस्व वाद संख्या 05/2016 दिनांक 26.03.2014 को पेश कर एकतरफा निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.03.2022 पारित करवा दी उक्त निर्णय एवं डिकी की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर में दिनांक 20.04.2022 को अपील प्रस्तुत की गई जिस पर बाद सुनवाई राजस्व वाद संख्या 05/2016 बअनवान गंगाराम बनाम जालाराम में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 16.03.2022 के क्रियान्यवन को स्थगित कर दिया गया इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 05/2016 विधि द्वारा बाधित था प्रतिवादी संख्या 01 ने जान बुझ कर उक्त वाद को लम्बा करने की नियत से उक्त गलत तथ्यों पर आवेदन पेश किया हैं जो निरस्त योग्य हैं। विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 26.03.2014 राजस्व वाद संख्या 05/2016 गंगाराम बनाम जालाराम गलत तथ्यों पर न्यायालय में पेश कर प्रतिवादीगण (वादीगण ) को अपने हकूकों से वंचित रखने एवं खर्चे से जेरबार करने के लिए एकतरफा निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.03.2022 को जारी करवा दी जिससे व्यथीत होकर वादीगण एक राजस्व अपील श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत कर राजस्व वाद संख्या 05/2016 के निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.03.2022 की क्रियान्विति पर रोक लगवाई है, ऐसी स्थिति उक्त आवेदन निराधार एवं उक्त वाद को येनकेन प्रकारेण लम्बा करने की नियत से प्रस्तुत किया हैं जो भारी कोस्ट लगा कर उक्त आवेदन खारीज किया जावें ।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने बहस के सलंग्न प्रस्तुत फैहरिस्त दस्तावेज के अवलोकन में पाया गया कि समान प्रकरण के पक्षकार तथा परस्पर समान विषय—वस्तु के आधार पर एक राजस्व वाद सं. 05/2016 में वादी वकील एवं प्रतिवादी वकील के भी समान होने एवं उनकी उपस्थिति में दिनांक 21.01.2021 को अन्तिम रूप से निर्णित किया गया है। उक्त निर्णित वाद के जानकारी दोनों पक्षकारान एवं उनके वकुलाय को होने के बावजूद भी किया पक्षकार द्वारा न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया कि समान विषय—वस्तु का कोई प्रकरण पूर्व में विचाराधीन है यदि फिर भी तत्समय किसी पक्षकार द्वारा इसकी जानकारी न्यायालय को दी जाती तो अवश्य ही दोनों प्रकरणों की सुनवाई एक साथ ही की जाकर विधिवत निर्णय पारित किया जाता। चूंकि समान विषय—वस्तु वाद वाद पूर्व में निर्णित हो चुका है,ऐसी स्थिति में उक्त वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वादीगण द्वारा बहस की दलील में उजागर किया कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 26.03.2014 राजस्व वाद संख्या 05/2016 गंगाराम बनाम जालाराम गलत तथ्यों पर न्यायालय में पेश कर प्रतिवादीगण (वादीगण ) को अपने हकूकों से वंचित रखने हेतु एकतरफा निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.03.2022 को जारी करवा दी जिससे व्यथीत होकर वादीगण एक राजस्व अपील श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत कर राजस्व वाद संख्या 05/2016 के निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.03.2022 की क्रियान्विति पर रोक

Signature Not Verified
Digitally signed by Veeruma Ram
Date: 2022.12.31 17:15:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

151/2016

लगवाई है। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी वकील द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी यदि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरण के विरूद्व अथवा पारित निर्णय को अपास्त करने हेतु कोई कार्यवाही जैरकार है, तो ऐसी स्थिति में यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही प्रतिपादित करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है तो उस प्रकरण में पक्षकारान को पुनः सुनवाई के अवसर स्वतः ही प्राप्त हो जायेगे तथा यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में समान विषय–वस्तु एवं समान पक्षकार की हैसियत से पूर्व में पारित निर्णय को प्राकृतिक न्याय एवं सैद्वातिंक दृष्टिकोण से पुनः बिना किसी ठोस आधार के एक ही वाद कारण को पुनः' विवादित नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में उक्त वाद जो कि समान विषय–वस्तु, समान पक्षकार एवं विवाद का मुख्य कारण भी समान होने से पुनः सुना जाना रेस ज्यूडिकाटा ( Res Judicata )की श्रेणी में आता है।

लिहाजा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2021 को दृष्टिगत रखते हुए यह वाद जो कि रेस ज्यूडिकाटा (Res Judicata ) की श्रेणी में निहीत होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:15:45 IST
Reason: SelfAttested